अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION
नौवहन सेवा निदेशालय
DIRECTORATE OF SHIPPING SERVICES
*****

SOVTECH A & N Islands
Dairy No : 1229
Date : 16/02/26
Verified by :

NOTICE

The Draft Recruitment Rule for the post of Foreman (Drydock) is published hereunder as well as uploaded in the A&N Administration Portal **www.andamannicobar.gov.in** for information of all concerned. The stakeholders may submit their claims/objections, if any addressed to the Director, Directorate of Shipping Services, Sri Vijayapuram within 30 (thirty) days from the date of publishing of this notice. Thereafter, no claims/objections will be entertained.

Assistant Director (Admn.)

F.No.10-344/MDY/DSS/2023/271
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION
जहाज़रानी सेवा निदेशालय
DIRECTORATE OF SHIPPING SERVICES
Sri Vijaya Puram, dated the 15 Feb.,2026

To

1. The Chief Editor, The Daily Telegrams, Sri Vijayapuram with the request to publish the above Notice alongwith the enclosed Draft Notification and Recruitment Rule (In English & Hindi Newspaper) on 19.02.2026 and 20.02.2026.
2. The News Editor, Pradeshik Samachar, All India Radio, Sri Vijayapuram with the request to include the contents of the Notice in the Pradeshik Samachar on 19.02.2026 and 20.02.2026.
3. The Station Director, Doordarshan Kendra, Sri Vijayapuram with the request to include the contents of Notice in Dweep Darpan on 19.02.2026 & 20.02.2026.
4. The Executive Officer, SOVTECH, DBRAIT Campus, Dollygunj, Sri Vijayapuram with the request to upload the enclosed Draft Notification and Recruitment Rule (In English & Hindi in Hard & Soft Copy) in the A&N Administration website www.andamannicobar.gov.in on 19.02.2026.
5. The Assistant Manager (IT), DSS for information and necessary action.

Copy also forwarded to :

1. PA to DSS for kind information of DSS.
2. PA to DDSS for kind information of DDSS.
3. The Deputy Secretary (Shipping), A&N Administration, Sri Vijayapuram for information.

Assistant Director (Admn)

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
नौवहन सेवा निदेशालय

श्री विजयपुरम, दिनांक फरवरी, 2026

सूचना

फोरमैन (ड्राइडॉक) के पद के लिए मसौदा भर्ती नियम नीचे प्रकाशित किया गया हैं तथा सभी संबंधितों की जानकारी हेतु अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के वेबसाइट www.andamannicobar.gov.in पर भी अपलोड कर दिए गए हैं । यदि कोई दावे/आपत्तियाँ हों तो हितधारक इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर निदेशक, नौवहन सेवा निदेशालय, श्री विजयपुरम को भेज सकते हैं । उसके बाद किसी भी दावे/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

sd/-

सहायक निदेशक (प्रशासन)

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/ SECRETARIAT
****

श्री विजयपुरम, दिनांक 01 नवंबर, 2025

अधिसूचना

सं........... एफ.सं. 42-517/2021-TR(1) – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक प्रावधान के साथ पठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 21.02.1985 की अधिसूचना संख्या. यू-14939/2/83-एएनएल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस पद से संबंधित भर्ती नियमावली को अधिसूचित करने के लिए जारी किए गए पूर्व के सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के नौवहन सेवा निदेशालय की स्थापना में फोरमैन(ड्राइडॉक) के वर्ग 'ख' अराजपत्रित (अलिपिकीय) पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ:-**

(i) इन नियमों को "अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के नौवहन सेवा निदेशालय में फोरमैन(ड्राइडॉक) के वर्ग 'ख' अराजपत्रित (अलिपिकीय) पद की भर्ती नियमावली, 2025" कहा जाएगा।

(ii) यह नियमावली इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड के साथ ग्रेड वेतन/ वेतनमान :-**

उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मेट्रिक्स में वेतन स्तर वही होंगे जो इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के पैरा 2 से 4 में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अर्हताएं इत्यादि :-**

उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें उक्त अनुसूची के पैरा 5 से 13 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **अयोग्यताएँ:-** कोई भी ऐसा व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसने -:

क) किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो, जिसका पति/पत्नी जीवित है, या

ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो।

परंतु उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह को यह समाधान हो जाने पर कि ऐसी विवाह उस व्यक्ति और उस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।

5. **<u>ढील देने की शक्ति:-</u>**

जहाँ उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह की राय में किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, तो वे ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

6. <u>व्यावृति :-</u> इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित करना अपेक्षित है।

(एडमिरल डी.के. जोशी)
पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम(अ. प्रा.)
उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

(एस. पांडिअम्माल)

उप सचिव (नौवहन)

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/ SECRETARIAT
****

श्री विजयपुरम, दिनांक 01 नवंबर, 2025

अधिसूचना

सं........... एफ.सं. 42-517/2021-TR(1) – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक प्रावधान के साथ पठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 21.02.1985 की अधिसूचना संख्या. यू-14939/2/83-एएनएल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस पद से संबंधित भर्ती नियमावली को अधिसूचित करने के लिए जारी किए गए पूर्व के सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के नौवहन सेवा निदेशालय की स्थापना में फोरमैन(ड्राइडॉक) के वर्ग 'ख' अराजपत्रित (अलिपिकीय) पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ:-**

   (i) इन नियमों को "अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के नौवहन सेवा निदेशालय में फोरमैन (ड्राइडॉक)के वर्ग 'ख' अराजपत्रित पद की भर्ती नियमावली (अलिपिकीय), 2025" कहा जाएगा।

   (ii) यह नियमावली इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड के साथ ग्रेड वेतन/ वेतनमान :-**

   उक्त पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मेट्रिक्स में वेतन स्तर वही होंगे जो इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के पैरा 2 से 4 में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अर्हताएं इत्यादि :-**

   उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें उक्त अनुसूची के पैरा 5 से 13 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **अयोग्यताएँ:-** कोई भी ऐसा व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसने -:

   क) किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो, जिसका पति/पत्नी जीवित है, या

   ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो।

   परंतु उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह को यह समाधान हो जाने पर कि ऐसी विवाह उस व्यक्ति और उस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।

5. <u>ढील देने की शक्ति:-</u>

जहाँ उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह की राय में किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, तो वे ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

6. <u>व्यावृति :-</u> इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित करना अपेक्षित है।

(एडमिरल डी.के. जोशी)
पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम(अ. प्रा.)
उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

(एस. पांडिअम्माल)

उप सचिव (नौवहन)

अनुसूची

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के नौवहन सेवा निदेशालय की स्थापना में फोरमैन(ड्राइडॉक) के पद की भर्ती नियमावली

1.	पदनाम	**फोरमैन(ड्राइडॉक)**
2.	पद की संख्या	01 (एक)* 2025 * कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवाएँ वर्ग 'ख' अराजपत्रित (अलिपिकीय)
4.	वेतन मेट्रिक्स में वेतन स्तर	स्तर – 6 (रुपए 35400-112400)
5.	चयन पद या गैर-चयनपद	लागू नहीं।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । (केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 05 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।) **नोट :** भारत के अन्य स्थानों के उमीदवारों से नाम/आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि ही आयु सीमा को निर्धारित करने की निर्णायक तिथि होगी, (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला और चंबा जिले का पांगी उपमंडल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि) ।
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ	**अनिवार्य :** (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मकैनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि । **(या)** (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मकैनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा नेवल आर्किटेक्चर में डिप्लोमा ।/ (3) प्रशासन या किसी भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। **वांछानीय** : शिप मरम्मत यार्ड में 03 (तीन) वर्ष का कार्य अनुभव ।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगे?	लागू नहीं।

9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो।	सीधी भर्ती के लिए 02 (दो) वर्ष । **नोट :** परिवीक्षा को पूरा करने के लिए न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि की प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना एक अनिवार्य पूर्व शर्त है।
10.	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति का प्रतिशत।	100% (शत प्रतिशत)पदोन्नति द्वारा और ऐसा न कर पाने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।
11.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती करने के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है।	**पदोन्नति:** **वेतन मैट्रिक्स में लेवल-5 (29200-92300 रुपये)** में कार्यरत चार्जमैन (ड्राइडॉक)/ चार्जमैन (शिपराइट)/ में से, जिन्होंने इस ग्रेड में 06 (छह) वर्ष की नियमित सेवा की हो । **नोट:** पदोन्नति के लिए पात्रता सूची को अधिकारियों द्वारा संबंधित ग्रेड /पद में निर्धारित अर्हक सेवा को पूरा करने की तिथि के आधार पर तैयार किया जाएगा।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है?	**पदोन्नति के मामलों पर विचार करने हेतु वर्ग 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति का गठन इस प्रकार है -** 1. सचिव(नौवहन), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन - अध्यक्ष 2. नौवहन सेवा निदेशक, अ. तथा नि. द्वीपसमूह - सदस्य 3.कार्यपालक अभियंता, वर्कशॉप प्रभाग(अ.लो.नि.वि.) -सदस्य **स्थायीकरण के मामलों पर विचार करने हेतु विभागीय स्थायीकरण समिति का गठन इस प्रकार है -** 1. नौवहन सेवा निदेशक, अ. तथा नि. द्वीपसमूह - अध्यक्ष 2. कार्यपालक अभियंता, वर्कशॉप प्रभाग(अ.लो.नि.वि.) - सदस्य 3. सहायक निदेशक (प्रशासन) -सदस्य
13.	परिस्थितियाँ जिसमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं।

फोरमैन(ड्राइडॉक) के पद का कार्य एवं उत्तरदायित्व

1. मरीन डॉकयार्ड के डोकिंग अनुभाग का प्रभारी होंगे ।
2. अनुभाग से जुड़ी कार्य/ड्यूटी आबंटन, भंडार सामग्री, सर्वेक्षण तथा जॉब इंडेंट्स को पूरा करना।
3. जलयानों के डोकिंग प्लान /अन्य डोकिंग संबंधी प्लान का अध्ययन एवं उसकी व्याख्या करना।
4. प्रत्येक जलयान के लिए अनुमोदित डोकिंग प्लान के अनुसार जलयान की सुरक्षित डोकिंग/स्लिपिंग के लिए ड्राइडॉक का सेटिंग एवं स्लिपवे डॉक ब्लॉकस् की व्यवस्था करना और मास्टर से सेटिंग पर सहमति होने का स्पष्ट वचन-पत्र/घोषणा-पत्र प्राप्त करना ।
5. सुनिश्चित करना कि ड्राइडॉक में प्रवेश करते समय जलयान में एचएसडी, बिलजस् एवं अन्य तेल / ज्वलनशील पदार्थ इत्यादि नहीं है और इसके लिए जलयान के मास्टर से उचित रिपोर्ट/ प्रमाणपत्र प्राप्त करना ।
6. सुनिश्चित करना कि जलयान का प्रवेश वांछित ट्रिम्स के साथ हो रहा है एवं जलयान साइड लिस्टिगं से मुक्त है तथा जलयान का उचित स्थिरता बनाया गया है और जलयान के मास्टर को इसकी सटिकता के सम्बंध में रिपोर्ट देना ।
7. आवश्यकता अनुसार डॉक ब्लॉकस् का शिप्टिंग करना ।
8. जलयान के मरम्मत कार्य पूरा होने के पश्चात सुरक्षित अनडोकिंग/अनस्लिपिंग सुनिश्चित करना ।
9. दुर्घटनाओं/ हादसों की सूचना देना ।
10. प्रभारी-अधिकारी को उपरोक्त सभी कार्यो पर प्रतिदिन/ जब कभी भी मांगा जाए, के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/SECRETARIAT
****

Sri Vijaya Puram
दिनांक/dated the 01st November, 2025

NOTIFICATION

No....................../F.No. 42-517/2021-TR(1), In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with the Notification No.U-14939/2/83-ANL dated 21.02.1985 issued by the Govt. of India, Ministry of Home Affairs and in supersession of all previous Notifications notifying the recruitment rules in respect of the post, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands, hereby proposes to make the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'B' Non-Gazetted (Non-Ministerial) post of Foreman (Drydock) in the establishment of Directorate of Shipping Services, Andaman and Nicobar Administration, namely:

1. **SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:-**

i. These Rules may be called the Andaman and Nicobar Administration Group 'B' Non-Gazetted (Non-Ministerial) post of Foreman (Drydock) in the Directorate of Shipping Services Recruitment Rule, 2025.
ii. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **NUMBER OF POST, CLASSIFICATION AND PAY BAND WITH GRADE PAY/PAY SCALE:-**

The number of post, its classification and pay level in the pay matrix attached thereto shall be specified in paras 2 to 4 of the Schedules annexed hereto.

3. **METHOD OF RECRUITMENT, AGE LIMIT & QUALIFICATION ETC:-**

The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in para 5 to 13 of the said Schedule.

सत्यापित प्रति
Certified Copy

...ary (Shipping)

4. **DISQUALIFICATION;-**

No person.

a. Who has entered into or contracted a marriage with a person Having a spouse living, or
b. Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands. May if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and other party to the marriage and there are other grounds for so long, exempt any person from the operation of these rules.

5. **POWER TO RELAX;-**

Where the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may be Order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the Provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **SAVING:-**

Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concession required to be provided for candidates belonging to Scheduled Caste, Schedules Tribe and other specified categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

(Admiral D.K. Joshi)
PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM (Retd.)
Lieutenant Governor
Andaman and Nicobar Islands
By order and in the name of Lieutenant Governor

(S. Pandiammal)
Deputy Secretary (Shipping)

NC

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF FOREMAN (DRYDOCK) IN THE ESTABLISHMENT OF DIRECTORATE OF SHIPPING SERVICES, A&N ADMINISTRATION.

1.	Name of the post	Foreman (Drydock)
2.	No. of post	01 (one)* (2025) *subject to variation dependent on work load
3.	Classification	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted (Non-Ministerial)
4.	Level in the pay matrix	Level – 6 (Rs.35400 – 112400)
5.	Whether selection post or Non-Selection post	Not Applicable.
6.	Age limit for direct recruitment.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Govt. servants upto 05 years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Govt. from time to time). **NOTE:**The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of name/applications from candidates in India(and not the closing date prescribed for those in Assam, Megalaya, Arunachal Pradesh. Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladak Division of J&K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).
7.	Educational and Qualification required for direct recruits.	**Essential:** (1) Degree in Mechanical Engineering from a recognized University. (**OR**) (2) Diploma in Mechanical Engineering/Diploma in Naval Architecture from a recognized Institution. 3) Should qualify the written test conducted by the administration or any recruiting agency. **Desirable:** (1) Three (03) years experience in Ship Repair Yard.

प्रमाणित प्रति
Certified Copy

उप सचिव (नौवहन)
Deputy Secretary (Shipping)
अ. नि. प्र. प्रशासन

8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Not Applicable.
9.	Period of probation, if any	2 (two) years for direct recruitment. **Note:** *Successful completion of the training of at least two weeks duration is a pre-requisite for completion of probation period.*
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to filled by various methods.	100% promotion failing which by direct recruitment
11.	In case of recruitment by promotion deputation/transfer grades from which promotion/deputation transfer to be made.	From amongst the Chargeman (Drydock)/ Chargeman (Shipwright) in Level-5 (₹ 29200-92300) with 06 years regular service in the grade. Note: *The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post.*
12.	If DPC exists, what is its composition.	**Group 'B' DPC for considering case of Promotion consisting of:** 1. Secretary (Shipping) - Chairman. 2. Director Shipping Services, A&N Islands– Member 3. Executive Engineer, Workshop Division, APWD – Member. **Departmental Confirmation Committee (DCC) for considering case of Confirmation consisting of:** 1. Director Shipping Services, A&N Islands– Chairman. 2. Executive Engineer, Workshop Division, APWD – Member. 3. Assistant Director(Admn)- member.

सत्यापित प्रति
Certified Copy

उप सचिव (जौवहन)
Deputy Secretary (Shipping)
अ.तथा नि. प्रशासन
A & N Administration